|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **नकदी घोषणा**  **विनियम (EU) 2018/1672 का अनुच्छेद 3** | | |
| **कार्यालयी प्रयोग के लिए** | **संदर्भ संख्या** |  |

**पूरक अंश 1**

**भाग 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. मैं** | **☐ यूरोपीय संघ (EU) में प्रवेश कर रहा/रही हूँ  EU से निकल रहा/रही हूँ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. नकदी के वाहक के विवरण** | | | | | | | | |
| पहला(ले) नाम |  | | | | राष्ट्रीयता |  | | |
| अंतिम नाम |  | | | | व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | |  | |
| लिंग | पुरुष  महिला  अन्य | | | | पता  सड़क\* एवं संख्या \* | सड़क | | संख्या |
| जन्म तिथि | तारीख माह वर्ष | | | | नगर |  | | |
| जन्म स्थान | नगर | | | देश | डाक /ज़िप कोड\* |  | | |
| ID प्रलेख | पासपोर्ट | ☐ID कार्ड | ☐अन्य (विनिर्दिष्ट करें)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | देश |  | | |
| ID प्रलेख संख्या |  | | | | टेलीफोन नंबर\* |  | | |
| जारी करने वाला देश |  | | | | ईमेल पता\* |  | | |
| जारी करने की तारीख | तारीख माह वर्ष | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. परिवहन के विवरण** | | | | | | | |
| प्रथम प्रस्थान का देश | |  | | प्रस्थान की तारीख | | तारीख माह वर्ष | |
| अंतिम गंतव्य देश | |  | | पहुंचने की तारीख | | तारीख माह वर्ष | |
| के रास्ते (मार्गस्थ देश)\* | |  | | मार्गस्थ तिथि\* | | तारीख माह वर्ष | |
| परिवहन के साधन | | **AIR** (विनिर्दिष्ट करें)  ☐ वाणिज्यिक उड़ान  ☐ निजी जेट  ☐ अन्य | **समुद्र / नदी संबंधी** (विनिर्दिष्ट करें)  ☐ वाणिज्यिक पोत ☐ नौका  ☐ समुद्री पोत ☐ अन्य | **रेल** | **सड़क** (विनिर्दिष्ट करें)    ट्रक  बस  कार  अन्य | | **अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| परिवहन का मार्ग | | प्रस्थान के प्रथम हवाईअड्डे/बन्दरगाह/रेलवे स्टेशन का नाम/स्थान | | |  | | |
| आगमन के अंतिम हवाईअड्डे/बन्दरगाह/रेलवे स्टेशन का नाम/स्थान | | |  | | |
| मार्गस्थ हवाईअड्डे/बन्दरगाह/रेलवे स्टेशन का नाम/स्थान | | |  | | |
| भूसीमा पारगमन बिन्दु (केवल सड़क मार्ग से) | | |  | | |
| संदर्भ संख्या (अर्थात उड़ान नंबर, जलयान की पहचान, ट्रेन नंबर, देश कोड तथा लाइसेन्स प्लेट) | | | | |  | | |
| परिवहन कंपनी\* |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. नकदी के विवरण** | | | | | | |
| मुद्रा  (बैंकनोट्स और सिक्के) | **मूल्य** | | **मुद्रा** | | **मूल्य** | **मुद्रा** |
| 1) | |  | | 3) |  |
| 2) | |  | | 4) |  |
| धारक परक्राम्य लिखत | **धारक परक्राम्य लिखत का प्रकार** | | | | **मूल्य** | **मुद्रा** |
|  | | | |  |  |
| मूल्य के उच्च तरल भंडार के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं (जैसे सोना) | **प्रकार** | **मात्रा** | | **कुल वजन (ग्राम में)** | **मूल्य** | **मुद्रा** |
|  |  | |  |  |  |

\*यदि लागू या उपलब्ध हो। यदि लागू या उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं

|  |  |
| --- | --- |
| **5. नकदी की आर्थिक उत्पत्ति तथा आशयित प्रयोग** (उपखंड 5.A एवं 5.B प्रत्येक में एक से अधिक विकल्प संभव हैं) | |
| **5.A. आर्थिक उत्पत्ति** (यह उपखंड केवल तभी भरा जाता है जब केवल एक मालिक हो। यदि एक से अधिक मालिक हों, तो अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करके सूचना भरी जानी चाहिए। इस मामले में, 'अन्य' पर टिक करें तथा 'अतिरिक्त शीट' विनिर्दिष्ट करें) | **5.B. आशयित प्रयोग** (यह उपखंड केवल तभी भरा जाता है जब केवल एक आशयित प्राप्तकर्ता हो। यदि एक से अधिक आशयित प्राप्तकर्ता हों, तो अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करके सूचनाएं भरी जानी चाहिए। इस मामले में, 'अन्य' पर टिक करें तथा 'अतिरिक्त शीट' विनिर्दिष्ट करें) |
| श्रम लाभ (आय, सेवानिवृत्ति, उद्यमशीलता आदि से आय)  पूंजीगत लाभ (लाभांश, निवेश लाभ, ब्याज, बीमा आदि)  अचल संपत्ति की बिक्री  चल संपत्ति की बिक्री  किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा दिया गया ऋण  किसी विधायी संस्था (क्रेडिट संस्थान, बैंक या कंपनी) द्वारा दिया गया ऋण  लॉटरी / जुआ  उपहार / दान  विरासत  अन्य (विनिर्दिष्ट करें)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | श्रम व्यय (वेतन भुगतान, निवेश कारोबार आदि)  पूंजी निवेश (बैंक खाते में जमा, बीमा भुगतान आदि)  अचल संपत्ति खरीदने के लिए निधियां  चल संपत्ति खरीदने के लिए निधियां  किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती  किसी विधायी संस्था (क्रेडिट संस्थान, बैंक या कंपनी) द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती  लॉटरी / जुआ  चैरिटी  कैश टू शिपमास्टर / बोर्ड कैश  अवकाश / मनोरंजन  ☐ पेशेवर नकद कूरियर द्वारा नकदी का हस्तांतरण (मुद्रा अंतरण कंपनियां)  ☐ पेशेवर नकद कूरियर द्वारा नकदी का हस्तांतरण (अन्य)  अन्य (विनिर्दिष्ट करें)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*यदि लागू या उपलब्ध हो। यदि लागू या उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. नगदी का मालिक:** क्या आप नकदी के इकलौते मालिक हैं? | | | | | |  | **7. नकदी का आशयित प्राप्तकर्ता:** क्या आप नकदी के इकलौते आशयित प्राप्तकर्ता हैं? | | | | | | | |
| **जी हाँ, मैं इकलौता मालिक हूँ** | | | 🡪 खंड 7 पर जाएं | | | **जी हाँ, मैं पूरी नकदी का इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता हूँ** | | 🡪 खंड 8 पर जाएं | | | | | |
| **जी नहीं, इकलौता मालिक कोई दूसरा प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | 🡪 उपखंड 6.A भरें | | | **जी नहीं, इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता ही इकलौता मालिक है** | | 🡪 खंड 8 पर जाएं | | | | | |
| **जी नहीं, इकलौता मालिक कोई वैध व्यक्ति है** | | | 🡪 उपखंड 6.B भरें | | | **जी नहीं, इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता कोई दूसरा प्राकृतिक व्यक्ति है** | | 🡪 उपखंड 7.A भरें | | | | | |
| **जी नहीं, एक से अधिक मालिक हैं** | | | 🡪 नीचे मालिकों की कुल संख्या भरें तथा उनके विवरण भरने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करें। खंड 7 पर जाएं। | | | **जी नहीं, इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता कोई वैध व्यक्ति है** | | 🡪 उपखंड 7.B भरें | | | | | |
| **जी नहीं, एक से अधिक आशयित प्राप्तकर्ता हैं** | | 🡪 नीचे आशयित प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या भरें तथा उनके विवरण भरने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करें। खंड 8 पर जाएं। | | | | | |
| **मालिकों की कुल संख्या:** | | |  | | | **आशयित प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या:** | | |  | | | | |
| **6.A. इकलौता मालिक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | | | **7.A. इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता कोई प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | | | | |
| पहला(ले) नाम |  | | | | | पहला(ले) नाम |  | | | | | | |
| अंतिम नाम |  | | | | | अंतिम नाम |  | | | | | | |
| लिंग | पुरुष  महिला  अन्य | | | | | लिंग | पुरुष  महिला  अन्य | | | | | | |
| जन्म तिथि | तारीख माह वर्ष | | | | | जन्म तिथि | तारीख माह वर्ष | | | | | | |
| जन्म स्थान | नगर | देश | | | | जन्म स्थान | नगर | | | | देश | | |
| ID प्रलेख | पासपोर्ट | | ☐ID कार्ड | ☐अन्य (विनिर्दिष्ट करें) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ID प्रलेख | पासपोर्ट | | | ☐ID कार्ड | | ☐अन्य (विनिर्दिष्ट करें) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ID प्रलेख संख्या |  | | | | | ID प्रलेख संख्या |  | | | | | | |
| जारी करने वाला देश |  | | | | | जारी करने वाला देश |  | | | | | | |
| जारी करने की तारीख | तारीख माह वर्ष | | | | | जारी करने की तारीख | तारीख माह वर्ष | | | | | | |
| राष्ट्रीयता |  | | | | | राष्ट्रीयता |  | | | | | | |
| व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | |  | | | | व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | |  | | | | | |
| पता  सड़क\* एवं संख्या\* | सड़क | | | | संख्या | पता  सड़क\* एवं संख्या\* | सड़क | | | | | | संख्या |
| नगर |  | | | | | नगर |  | | | | | | |
| डाक /ज़िप कोड\* |  | | | | | डाक /ज़िप कोड\* |  | | | | | | |
| देश |  | | | | | देश |  | | | | | | |
| टेलीफोन नंबर\* |  | | | | | टेलीफोन नंबर\* |  | | | | | | |
| ईमेल पता\* |  | | | | | ईमेल पता\* |  | | | | | | |
| **6.B. इकलौता मालिक कोई वैध व्यक्ति है** | | | | | | **7.B. इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता कोई वैध व्यक्ति है** | | | | | | | |
| नाम |  | | | | | नाम |  | | | | | | |
| पंजीकरण संख्या |  | | | | | पंजीकरण संख्या |  | | | | | | |
| रजिस्टर का नाम |  | | | | | रजिस्टर का नाम |  | | | | | | |
| पंजीकरण का देश |  | | | | | पंजीकरण का देश |  | | | | | | |
| VAT पहचान संख्या\* | |  | | | | VAT पहचान संख्या\* | |  | | | | | |
| आर्थिक प्रचालक का पंजीकरण एवं पहचान (EORI) संख्या \* | |  | | | | आर्थिक प्रचालक का पंजीकरण एवं पहचान (EORI) संख्या \* | |  | | | | | |
| पता  सड़क\* एवं संख्या\* | सड़क | | | | संख्या | पता  सड़क\* एवं संख्या \* | सड़क | | | | | | संख्या |
| नगर |  | | | | | नगर |  | | | | | | |
| डाक /ज़िप कोड\* |  | | | | | डाक /ज़िप कोड\* |  | | | | | | |
| देश |  | | | | | देश |  | | | | | | |
| टेलीफोन नंबर \* |  | | | | | टेलीफोन नंबर \* |  | | | | | | |
| ईमेल पता\* |  | | | | | ईमेल पता\* |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. हस्ताक्षर** | | | | | | **कार्यालयी प्रयोग के लिए** | | |
| **मैं घोषणा करता/ती हूँ कि दिए गए सारे विवरण सही हैं। मै यह समझता/ती हूँ कि यदि उपलब्ध कराई गई सूचनाएं गलत अथवा अपूर्ण हैं, तो घोषित करने की बाध्यता को पूरा हुआ नहीं माना जाएगा तथा मैं लागू राष्ट्रीय विधान के अनुसार दंड का भागी हूंगा/हूंगी।** | | | | | | **सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर** | | |
| **हस्ताक्षर** | | | | | |
| **हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** | | | | | |
| तारीख | तारीख माह वर्ष | | | | | **सीमाशुल्क संबंधी घोषणा: ☐ जी हाँ ☐ जी नहीं** | | |
| स्थान | नगर | | देश | | | **सीमाशुल्क संबंधी घोषणा संख्या:** |  | |
| प्रयुक्त अतिरिक्त शीटों की कुल संख्या | |  | | पृष्ठांकित प्रतिलिपि का अनुरोध किया गया | जी हाँ | **सीमाशुल्क कार्यालय जिसने नियंत्रण का काम किया:** | |  |

\*यदि लागू या उपलब्ध हो। यदि लागू या उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं

**पूर्णता पर टिप्पणियां**

|  |
| --- |
| **सामान्य सूचना**  EU में प्रवेश करने अथवा वहां से निकलने पर नकदी की घोषणा करने का दायित्व EU की धनशोधन को रोकने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने संबंधी रणनीति का हिस्सा है। यदि आप नकद EUR 10 000 अथवा उससे अधिक (अथवा अन्य मुद्राओं में समतुल्य धनराशि) अपने साथ ले जा रहे हों, तो EU में प्रवेश करते अथवा वहां से निकलते समय इस घोषणापत्र को अवश्य पूरा करें (यूरोपीय संसद एवं परिषद के विनियम (EU) 2018/1672 का अनुच्छेद 3)।  यदि गलत अथवा अधूरी सूचना दी जाती है, अथवा यदि नकदी का नियंत्रण नहीं दिया जाता है, तो यह माना जाएगा की वाहक ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया है तथा लागू राष्ट्रीय विधान के तहत दंड का उत्तरदायी होगा।  सूचनाओं तथा व्यक्तिगत डेटा को सक्षम अधिकारियों द्वारा दर्ज एवं संसाधित किया जाएगा तथा इसे विनियम (EU) 2018/1672 के अनुच्छेद 9 के अनुसार वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) को उपलब्ध कराया जाएगा। उस विनियम के अनुच्छेद 10 तथा 11 में संदर्भित मामलों में, डेटा को वहां उल्लिखित प्राधिकारियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी, जहां घोषणापत्र जमा किया जाता है, प्राप्त किए गए व्यक्तिगत डेटा के नियंत्रकों के रूप में कार्य करते हैं तथा डिफॉल्ट के तौर पर 5 वर्षों के लिए व्यक्तिगत डेटा का विनियम (EU) 2018/1672 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अनुरक्षण करेंगे। व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं उसके विरूद्ध लड़ाई के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अपने अधिकारों सहित पूरी जानकारी के लिए, सदस्य राज्य डेटा सुरक्षा ऑनलाइन जानकारी संबंधी संलग्न निजता कथन/लिंक देखें।    **विनियम (EU) 2018/1672 के अनुसार प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या**  **वाहक** का अर्थ है, कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति जो EU में प्रवेश करते अथवा वहां से निकलते समय, अपने साथ, अपने सामान में अथवा अपने परिवहन के साधनों में नकद धनराशि ले कर चल रहा हो।    **मुद्रा** का अर्थ है, वे बैंकनोट्स एवं सिक्के जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में हैं अथवा जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में रह चुके हैं तथा जिन्हें अभी भी उन बैंकनोट्स एवं सिक्कों के बदले में वित्तीय संस्थानों अथवा केंद्रीय बैंकों के माध्यम से विनिमय किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में हैं।  **धारक परक्राम्य लिखत** का अर्थ मुद्रा के अतिरिक्त ऐसे दूसरे लिखत हैं, जो अपने धारकों को लिखतों की प्रस्तुति पर किसी वित्तीय राशि का दावा करने पर अपनी पहचान अथवा उस राशि के लिए पात्रता साबित किए बिना हकदार बनाते हैं। वे लिखत हैं:  (a) ट्रैवलर्स चेक; [एवं]  (b) ऐसे चेक, प्रॉमिसरी नोट्स अथवा मनीऑर्डर जो या तो धारक फॉर्म में हैं, हस्ताक्षरित हैं लेकिन आदाता का नाम छोड़ दिया गया है, बिना किसी प्रतिबंध के पृष्ठांकित हैं, किसी फर्जी आदाता के लिए बनाया गया है, या अन्यथा ऐसे रूप में है कि उसका टाइटल डिलीवरी पर हस्तांतरित होता है।  **मूल्य के उच्च तरल भंडार के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं**  (a) वे सिक्के जिनमें कम से कम 90% सोना हो; [एवं]  (b) बार, नगेट्स या क्लंप जैसे ऐसे बुलियन जिसमें कम से कम 99,5% सोना हो। |

* **इस फॉर्म में सभी फील्ड अनिवार्य फील्ड हैं तथा उन्हें अवश्य भरा जाना चाहिए। इस फॉर्म में तारांकन चिह्न (\*) से चिह्नित फील्ड को, जहां लागू हो या उपलब्ध हो, जरूर भरा जाना चाहिए।**
* **सभी सफेद भागों को ब्लॉक कैपिटल अक्षरों तथा गहरी स्याही से भरा जाना चाहिए। फॉर्म में काट-छांट, ओवरराइट किए गए शब्द या दूसरे परिवर्तन नहीं होने चाहिए।**
* **‘आधिकारिक प्रयोग के लिए‘ चिह्नित किए गए भाग खाली रहने चाहिए।**
* **व्यक्तिगत पहचान संख्या (अर्थात निजी कर, सामाजिक सुरक्षा अथवा इसी तरह की कोई विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान संख्या), पता, डाक कोड/ज़िप कोड, टेलीफोन नंबर तथा ईमेल पता, यदि लागू हो, तो अवश्य भरें। यदि लागू न हो, तो इसके बजाय 'N/A' दर्शाएं।**
* **मूल्य वर्धित कर (VAT) संख्या तथा आर्थिक प्रचालक पंजीकरण एवं पहचान संख्या (EORI नंबर-जो EU भर में कोई विशिष्ट संख्या है, जिसे किसी सदस्य राज्य में सीमा शुल्क गतिविधियों में शामिल आर्थिक प्रचालकों को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जाता है) जहां उपलब्ध हो, अवश्य भरें। यदि उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं।**
* **जहां वाहक को सूचनाओं की जानकारी न हो, तो ‘अज्ञात’ दर्शाएँ।**
* **इस फॉर्म को उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत EU (यूरोपीय संघ) की आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक में भरा जाना चाहिए, जहां घोषणा की जाती है।**

**खंड 1: EU में प्रवेश करना अथवा वहां से निकलना**

यदि वाहक EU में प्रवेश कर रहा है अथवा वहां से निकल रहा है, यह दर्शाने के लिए यथोचित बॉक्स को टिक करें। यदि EU के रास्ते पारगमन कर रहे हैं तो भी प्रवेश करते या निकलते समय कोई घोषणा अपेक्षित है।

**खंड 2: नकदी के वाहक के विवरण**

वाहक का व्यक्तिगत डेटा, जैसा वह उनके ID प्रलेख में दिखाई देता है, इस खंड में अवश्य भरें।

जहां नकदी का वाहक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वैध रूप से सक्षम नहीं होता, वहां घोषणापत्र वाहक के वैध प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

**खंड 3: परिवहन के विवरण**

प्रथम प्रस्थान के देश, अंतिम गंतव्य देश तथा परिवहन के साधनों संबंधी सूचना अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। मार्गस्थ देश अथवा उन देशों के बारे में जिनके माध्यम से वाहक नकद हस्तांतरण करता है तथा उस परिवहन कंपनी के बारे में, यदि लागू हो, सूचना निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

* यदि विमान से EU में प्रवेश कर रहे हों अथवा वहां से निकल रहे हों, तो 'Air’ बॉक्स पर टिक करें। विमान का प्रकार (वाणिज्यिक उड़ान, निजी जेट, अन्य) अवश्य उपलब्ध कराएं। 'संदर्भ संख्या’ खाने में उड़ान संख्या अथवा विमान पंजीकरण संख्या (निजी जेट के मामले में) अवश्य उपलब्ध कराएं।
* यदि समुद्र अथवा नदी के रास्ते EU में प्रवेश कर रहे हों अथवा वहां से निकल रहे हों तो ‘Sea/Fluvial’ बॉक्स पर टिक करें। जलपोत का प्रकार (वाणिज्यिक पोत, नौका अथवा अन्य) अवश्य उपलब्ध कराएं। "संदर्भ संख्या" खाने में जलयान का नाम तथा "परिवहन कंपनी" के तहत शिपिंग लाइन संबंधी ब्यौरे अवश्य उपलब्ध कराएं।
* यदि किसी प्रकार के मोटर चालित सड़क वाहन से EU में प्रवेश कर रहे हों अथवा वहां से निकल रहे हों तो ‘Road’ बॉक्स पर टिक करें। सड़क परिवहन का प्रकार (ट्रक, कार, बस, अन्य) अवश्य उपलब्ध कराएं। ‘संदर्भ संख्या’ खाने में वाहन का देश कोड एवं लाइसेंस प्लेट अवश्य उपलब्ध कराएं।
* यदि ट्रेन से EU में प्रवेश कर रहे हों अथवा वहां से निकल रहे हों तो 'Rail’ बॉक्स पर टिक करें। "संदर्भ संख्या" खाने में ट्रेन नंबर तथा "परिवहन कंपनी" के तहत ट्रेन कंपनी अवश्य उपलब्ध कराएं।
* यदि दूसरे परिवहन साधनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है तो ‘अन्य’ बॉक्स पर टिक करें तथा परिवहन का प्रकार (अर्थात पैदल यातायात, साइकिल) विनिर्दिष्ट करें।

**खंड 4: नकदी के विवरण**

वाहक द्वारा ले जायी जा रही नकदी की कुल धनराशि इस खंड में अवश्य भरें। 'नकदी' को 'सामान्य सूचना' के तहत परिभाषित किया गया है। कम से कम एक विकल्प [(i) मुद्रा; (ii) धारक परक्राम्य लिखत अथवा (iii) मूल्य के उच्च तरल भंडार के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं] को अवश्य भरा जाना चाहिए।

यदि घोषणा फॉर्म में पर्याप्त जगह नहीं है, तो नकदी का ब्यौरा उपलब्ध करने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग अवश्य करें। प्रदत्त सभी सूचनाएं किसी एकल घोषणा का गठन करती हैं तथा सभी अतिरिक्त शीटों को क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**खंड 5: नकदी की आर्थिक उत्पत्ति तथा आशयित प्रयोग**

यदि वाहक इकलौता मालिक है अथवा यदि प्रासंगिक आर्थिक उत्पत्ति को दर्शाने के लिए कोई एक ही मालिक है तो **उपखंड 5.A** हमेशा भरें।

यदि वाहक इकलौता मालिक है तथा इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता भी है अथवा जहां नकदी का आशयित प्रयोग दर्शाने के लिए कोई एक ही प्राप्तकर्ता है तो **उपखंड 5.B** हमेशा भरें।

हर उपखंड में एक से अधिक विकल्पों का चयन करना संभव है। यदि कोई विकल्प लागू न हो, तो 'अन्य' बॉक्स पर टिक करें तथा ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।

यदि एक से अधिक मालिक अथवा एक से अधिक आशयित प्राप्तकर्ता हैं, तो मालिकों के लिए तथा/अथवा आशयित प्राप्तकर्ताओं के लिए नकदी की आर्थिक उत्पत्ति तथा आशयित प्रयोग के बारे में प्रासंगिक सूचना नीचे उल्लिखित के अनुसार किन्हीं अतिरिक्त शीटों में अवश्य भरें। इस मामले में, 'अन्य' बॉक्स पर टिक करें तथा 'अतिरिक्त शीट' विनिर्दिष्ट करें।

**खंड 6: नगदी का मालिक**

**केवल एक मालिक**

यदि वाहक नकदी का इकलौता मालिक है, तो उपयुक्त बॉक्स में टिक करें तथा खंड 7 में जाएं।

यदि वाहक इकलौता मालिक नहीं है, तो यह विनिर्दिष्ट करें कि क्या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति अथवा कोई वैध व्यक्ति इकलौता मालिक है तथा उपयुक्त बॉक्स में टिक करें। विवरण उपखंड 6.A (किसी प्राकृतिक व्यक्ति के लिए) अथवा उपखंड 6.B (किसी वैध व्यक्ति के लिए) में भरें तथा खंड 7 में जाएं। यदि वाहक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है, तो वही व्यक्तिगत विवरण भरें जो उनके ID प्रलेख में दिखाई देते हों।

**एक से अधिक मालिक**

यदि एक से अधिक मालिक हों, तो मालिकों की कुल संख्या को समुचित बॉक्स में अवश्य भरना चाहिए। हर अतिरिक्त मालिक के लिए अलग-अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें जिनमें उनके ब्यौरे, स्वामित्व वाली नकदी की धनराशि एवं उसकी आर्थिक उत्पत्ति तथा उसके आशयित प्रयोग दिए गए हों। यदि वाहक मालिकों में से एक है, तो उनके लिए भी एक अतिरिक्त शीट अवश्य भरें, जिसमें वाहक के स्वामित्व वाली नकदी की धनराशि तथा इसकी आर्थिक उत्पत्ति एवं इसके आशयित प्रयोग शामिल हों। प्रदत्त सभी सूचनाएं किसी एकल घोषणा का गठन करती हैं तथा सभी अतिरिक्त शीटों को क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**खंड 7: नकदी का आशयित प्राप्तकर्ता**

**केवल एक आशयित प्राप्तकर्ता**

यह दर्शाएं कि क्या वाहक नकदी का इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता है। यदि ऐसा है, तो उपयुक्त बॉक्स में टिक करें तथा खंड 8 में जाएं।

यदि वाहक इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता नहीं है, तो बताने के लिए उपयुक्त बॉक्स में टिक करें की क्या इकलौता आशयित प्राप्तकर्ता कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति अथवा कोई वैध व्यक्ति है। सूचना उपखंड 7.A (किसी प्राकृतिक व्यक्ति के लिए) अथवा उपखंड 7.B (किसी वैध व्यक्ति के लिए) में भरें तथा खंड 8 में जाएं। प्राकृतिक व्यक्ति के मामले में, वही व्यक्तिगत विवरण भरें जो उनके ID प्रलेख में दिखाई देते हों।

**एक से अधिक आशयित प्राप्तकर्ता**

यदि एक से अधिक आशयित प्राप्तकर्ता हों, तो आशयित प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या को समुचित बॉक्स में भरना होगा। हर आशयित प्राप्तकर्ता के लिए अलग-अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें जिनमें हर आशयित प्राप्तकर्ता का विवरण, प्राप्त होने वाली नकदी की धनराशि तथा उसका आशयित प्रयोग दिया गया हो। यदि वाहक आशयित प्राप्तकर्ताओं में से एक है, तो उनके लिए भी एक अतिरिक्त शीट अवश्य भरें, जिसमें वाहक द्वारा प्राप्त नकद धनराशि तथा इसके आशयित प्रयोग शामिल हों। प्रदत्त सभी सूचनाएं किसी एकल घोषणा का गठन करती हैं तथा सभी अतिरिक्त शीटों को क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**खंड 8: हस्ताक्षर**

तारीख, स्थान एवं नाम दर्ज करें तथा घोषणा फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। प्रयुक्त अतिरिक्त शीटों की कुल संख्या दर्शाएं। यदि कोई भी प्रयोग न की गई हो, तो शून्य (0) दर्शाएं। वाहक घोषणापत्र की पृष्ठांकित प्रतिलिपि का अनुरोध करने के लिए उपयुक्त बॉक्स में टिक कर सकता है।